सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-304/2022 **दिनांक- 14-सितम्बर-2022**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना कोतवाली आजमगढ

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रु. का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- 1. दिनांक 26.2.21 को वादी मुकदमा श्री अख्तर अली पुत्र कलाम अहमद निवासी चकरा मऊ द्वारा वाहन पिकप ले जाते समय कुछ लोगों द्वारा बैठौली बाईपास नदी के पास वाहन रुकवाकर मुर्गा लदा पिकप वाहन तथा दो मोबाइल लूट लेने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु.अ.स. 68/21 धारा 392/342 भादवि पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। जिसमें अभियुक्त मतीउर्रहमान उर्फ शेरू पुत्र अब्दुल मतीन साकिन धनिया मऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर आदि का नाम प्रकाश में आया था।

2. दिनांक- 7.3.21 को वादी प्र0नि0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा लूट की घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों के बारे में चर्चा के दौरान मुखबिर की सूचना पर कि बैठौली पुल के पास कुछ व्यक्ति कहीं जाने के फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर पकड़ने का प्रयास करते हुए अभियुक्तों द्वारा फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा हिकमत अमली से मौके पर 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर कब्जे से तमन्चा व कारतूस तथा मुर्गा लादने वाली गाड़ी व एक अदद बुलेरो नं *UP 62 BA* 1286 व एक अदद स्वीफ्ट डिजायर *UP 62BB 5959 B* व घटना से सम्बन्धित मुर्गी के बिक्री का 28000 रु0 नगद बरामद किया गया तथा थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 72/21 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक दुनियाबी लाभ के लिए संगठित अपराध किया जा रहा था। जिसके क्रम में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 427/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना थाना प्रभारी सिधारी द्वारा की जा रही है।

दिनांक- 14.9.22 को प्र0 नि0 शशी चन्द चौधरी मय निरीक्षक अपराध राजेश कुमार, व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह, कां0 सौरभ कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान रोडवेज बस स्टैण्ड आजमगढ़ से समय 13.50 बजे अभियुक्त मतिउर्रहमान उर्फ शेरू पुत्र अब्दुल मतीन सा0 धनियामऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर उम्र 31 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु.अ.स. 68/2021 धारा 392/342 भादवि थाना कोतवाली नगर आजमगढ़
2. मु.अ.स. 72/2021 धारा 307/34 भादवि , थाना कोतवाली नगर आजमगढ़
3. मु.अ.स. 427/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- मतिउर्रहमान उर्फ शेरू पुत्र अब्दुल मतीन सा0 धनियामऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर

गिरफ्तारी करने वाले टीम का विवरण –

1. श्री शशी चन्द चौधरी – प्रभारी निरीक्षक व निरीक्षक अपराध राजेश कुमार थाना कोतवाली
2. व.उ.नि. संजय सिंह व कां0 सौरभ कुमार समस्त थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

थाना- बरदह

शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण– दिनांक- 19.08.2022 को वादिनी (पीड़िता) थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि राधेश्याम यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी ग्राम पन्दहा मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया तथा अश्लिल वीडियों बनाकर वायरल किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 286/22 धारा 376 भा0द0वि0 व 67A IT ACT पंजीकृत कर विवेचना नि0अ0 श्री शमशेर यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

2.गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 14.09.2022 को अपराध निरीक्षक शमशेर यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राधेश्याम यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी ग्राम पन्दहा मेहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर पन्दहा से समय करीब 06.05 बजे प्रात: हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायलय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 286/22 धारा 376 भादवि व 67ए आई0टी0 एक्ट थाना बरदह आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1 -राधेश्याम यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी ग्राम पन्दहा मेहनगर जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

1.अपराध निरीक्षक श्री शमशेर यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ

2.का0 इन्लेश यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ

3.का0 राजित प्रसाद थाना बरदह जनपद आजमगढ

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- रौनापार

हत्या से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माना

आज दिनांक- 14.09.2022 को विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 3, आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 195 सन् 1998 अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. लाल बिहारी सिंह पुत्र कोदई, 2. लाल बहादुर सिंह पुत्र कोदई, 3. हरेन्द्र पुत्र लालू सिंह निवासी गण कोदई, निवासी उदिंहा नई बस्ती कोलवा, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 4. अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी उदिंहा थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ (पूर्व विधायक) को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को धारा 302 भादवि के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।